समाचार पत्र

वट वृक्ष

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान

(क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.सं),कोलकाता

जुलाई-सितंबर 2023

प्रधान निदेशक की कलम से

प्रिय पाठक,

मुझे सितंबर 2023 की समाप्ति पर वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए समाचार-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आवरण पृष्ठ को हमने विशेषत: नया रूप दिया है, जिसमें हमारे देश के सबसे शानदार स्मारकों में से एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के चित्र का प्रयोग किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की परिकल्पना ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो मुख्यत: दिवंगत महारानी विक्टोरिया का स्मारक है तथा गौणतः एक संग्रहालय है तथा यह "हमारे उत्कृष्ट इतिहास मे स्थायी अभिलेख" के रूप में मौजुद है।

हमारे उपयोगकर्ता कार्यालयों के निरंतर समर्थन से, हम अपने प्रशिक्षण जनादेश को प्राप्त करने की दिशा लगातार प्रयासरत है। इस तिमाही में, हमने एमसीटीपी लेवल-3 का एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा एमसीटीपी लेवल-2 के दो पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया। सीधे भर्ती हुए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए चरण- I के भाग- II के प्रशिक्षण का समापन 2 अगस्त 2023 को हुआ। तत्पश्चात्, सीजीएलई 2020 बैच के सीधे भर्ती हुए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के चरण- I के भाग-I का प्रशिक्षण 3 अगस्त से 13 सितंबर 2023 तक शुरू हुआ। इसके बाद, सीजीएलई 2021 बैच के सीधे भर्ती हुए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के चरण- I के भाग-I का प्रशिक्षण 25 सितंबर 2023 से आरंभ हुआ।

उत्कृष्टता की अनवरत तलाश में, क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.सं, कोलकाता ने (i) पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा (ii) सुदूर संवेदन और जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखापरीक्षा (iii) रेलवे कार्यो की लेखापरीक्षा पर तीन अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। ये पहल हमारे विभाग और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उच्चतम मानकों को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.सं, कोलकाता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भा.ले.व.ले.वि. के कार्यालयों तथा बाह्य संगठनों से आए संकाय सदस्यों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। हम भविष्य में भी आपसे निरंतर सहयोग की आशा रखते हैं।

इस समाचार पत्र के माध्यम से हम अपने पाठकों को क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.सं, कोलकाता के प्रदर्शन और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। समाचार-पत्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम पाठकों से प्राप्त निविष्टियों (इनपुट) तथा क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.सं, कोलकाता द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षण सामग्री में सुधारो/संशोधनो हेतु विचारों और सुझावों का स्वागत करते हैं। आप rtikolkata@cag.gov.in साइट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं।

अनादि मिश्र
प्रधान निदेशक
क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.सं, कोलकाता

विषयसूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
(क)महत्वपूर्ण दिनों, बैठकों और पाठ्येतर गतिविधियों का अनुपालन	**3**
(i) 13वां भारतीय अंगदान दिवस।	**3**
(ii) हिंदी पखवाड़ा, 2023।	**5**
(iii) मध्यावधि क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक।	**6**
(ख) प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (जुलाई से सितंबर 2023)	**8**
(i) सीजीएलई 2019 तथा 2020 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) के लिए चरण-I के भाग- II का प्रशिक्षण।	**8**
(ii) सीजीएलई 2020 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) के लिए चरण- I के भाग- I का प्रशिक्षण 03 अगस्त से 13 सितंबर 2023 तक आयोजित हुआ।	**10**
(iii) सीजीएलई 2021 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) के लिए चरण- I के भाग-I का प्रशिक्षण 25 सितंबर से 04 नवंबर 2023 तक आयोजित हुआ।	**14**
(iv) नवनियुक्त प्रभागीय लेखाकारों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया।	**16**
(ग) मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (जुलाई से सितंबर 2023)	**18**
(i) एमसीटीपी-स्तर-3 का प्रशिक्षण	**19**
(ii) एमसीटीपी-स्तर-2 का प्रशिक्षण	**21**
(घ) ज्ञान केंद्र की गतिविधियाँ	**23**
(i) पीआरआई की लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	**23**
(ii) रेलवे कार्यो की लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय कार्यक्रम	**25**
(iii) संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (संप्रमॉ)/केस स्टडीज की तैयारी	**28**
(ड़) सामान्य प्रशिक्षण	**28**
(i) राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन के अधिकारियों का प्रशिक्षण।	**28**
(ii) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, इसरो के सहयोग से सुदूर संवेदन और जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजति किया गया।	**31**
(iii) निष्पादन लेखापरीक्षा	**33**
(iv) जीएसटी का लेखापरीक्षा	**35**
(v) अन्य सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये	**38**
(च) सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण	**40**
(i) एमएस ऑफिस का अनिवार्य प्रशिक्षण	**40**
(ii) अन्य आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये	**43**
(छ) उपयोगकर्ता कार्यालयों की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और इन-हाउस प्रशिक्षण/बैठकों के संचालन के लिए उपयोगकर्ता कार्यालयों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान किए गए।	**45**
(ज) उपयोगकर्ता कार्यालयों तथा भा.ले.व.ले.वि. के बाह्य कार्यालयों को प्रशिक्षण दिया गया।	**46**
(झ) प्रश्नोत्तरी	**47**
(ञ) प्रश्नोत्तरी के उत्तर	**49**

(क) तिमाही के दौरान योजनाबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण दिनों, बैठकों और पाठ्येतर गतिविधियों का अनुपालन किया गया।

(i) 13वां भारतीय अंगदान दिवस - 03 अगस्त, 2023

13वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.सं, कोलकाता के अधिकारी।

मस्तिष्क के तन्तुओं के मृत हो जाने और अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अंगदान से जुड़े मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने तथा देश के नागरिकों को मृत्यु के उपरान्त अंगों और ऊतकों को दान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए 2010 से प्रति वर्ष भारतीय अंग दान दिवस मनाया जाता है, साथ ही अंगदान के मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए यह प्रेरित करता है।अंग प्रत्यारोपण अभियान के गतिविधियों की मांग को कम करने के लिए हमें स्वस्थ जीवन शैली और कल्याण को बढ़ावा देती हैं। दान किया गया प्रत्येक अंग बहुमूल्य, जीवनरक्षक तथा एक राष्ट्रीय संपदा है। एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद किडनी, लीवर, फेफड़े, हृदय, अग्न्याशय और आंत जैसे महत्वपूर्ण अंगों को दान करके 8 लोगों को नया जीवनदान दे सकता है और

कॉर्निया, त्वचा, हड्डी और हृदय वाल्व आदि जैसे ऊतकों को दान करके कई लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है।

हमारे संगठन में अंगदान के लिए एक जागरूकता अभियान “अंगदान महोत्सव" चलाया गया। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार/अस्पतालों/संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ अंगदान महोत्सव को पूरे देश में शहर से लेकर गांव स्तर तक मनाया जा रहा है। अभियान के तहत जुलाई 2023 को अंगदान महीने के रूप में मनाया गया। 13वें आईओडीडी ने अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगों की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या और अंग दान करने वालों लोगों की संख्या के बीच मौजूदा अंतर को पाटने के लिए लोगों को अंग दान करने के लिए प्रेरित किया हैं साथ ही लोगों को इस कल्याण के काम में साथ आने तथा इस राष्ट्रीय प्रयास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। अंगदान और प्रत्यारोपण के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, कोई भी व्यक्ति नोटो की वेबसाइट www.notto.mohfw.gov.in पर जा सकता है या टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर 180114770 पर कॉल कर सकता है।

ऑनलाइन प्रतिज्ञा की सुविधा उपरोक्त नोटो की वेबसाइट और https://pledge.mygov.in/organ-donation/. पर भी उपलब्ध है।

भारत सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म, MyGov के माध्यम से अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रीय वेबिनार, साइक्लोथॉन, वॉकाथॉन, अंग दान प्रतिज्ञा और राष्ट्रीय स्लोगन प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गई।

मुख्यालय के परिपत्र पत्र संख्या-153-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर./02-2023 दिनांक 21.07.2023 के अनुसरण में इस कार्यालय के कर्मचारियों ने भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर अंगदान करने का संकल्प लिया।

(ii) हिन्दी पखवाड़ा, 2023 (14 से 29 सितम्बर 2023)

प्रधान निदेशक श्री अनादि मिश्र हिंदी पखवाड़ा के उद्घाटन के अवसर पर क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.सं, कोलकाता के कर्मचारियों के साथ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। इसे इंडो-आर्यन भाषा का वैश्विक महत्व है, अंग्रेजी और मंदारिन चीनी के बाद दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन बोलने वालों के साथ, हिंदी तीसरी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा के रूप में स्थापित हैं।

देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिलने पर भारत सरकार प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रुप में मनाती है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदन किया। आधिकारिक रूप से पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। इस निर्णय के लिए प्राथमिक प्रेरणा एक विविध बहुभाषी राष्ट्र में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से जुड़ा था। इन वर्षों में, अनेक लेखकों, कवियों और कार्यकर्ताओं ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का समर्थन किया।

हिंदी दिवस मनाने के पीछे एक प्रमुख प्रेरणा देश में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करना तथा हिंदी भाषा को हाशिए में जाने से रोकना था। इस संदर्भ में,यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ने हिंदी को जन-जन की भाषा कहा था।

इस संस्थान ने इस कार्यालय के कर्मचारियों के लिए तीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जिनमें कविता पाठ, स्लोगन

प्रतियोगिता और वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल के कार्यालय से निर्णायक मंडली को आमंत्रित किया गया था। हिंदी पखवाड़ा के दौरान इस संस्थान की हिंदी पत्रिका **"ज्ञान अमृत"** के दूसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया।

(iii) मध्यावधि क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक (**27** सितंबर **2023)**

27 सितंबर 2023 को आयोजित मध्यावधि आरएसी बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारीगण

बैठक की शुरुआत क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के प्रधान निदेशक ने अध्यक्ष और आरएसी के सदस्यों के हार्दिक स्वागत के साथ आरंभ किया। बैठक की कार्यसूची में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया। सर्वप्रथम, 26 सितंबर 2023 तक आयोजित हुई प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई जिसमें लक्षित स्लॉट प्राप्त करने तथा प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया गया । स्लॉट रिक्तियों को रोकने के लिए उपयोगकर्ता कार्यालयों से 98.7% सक्रिय संचार के महत्व पर चर्चा की गई। आवास की अनुपलब्धता के कारण सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) के पाठ्यक्रमों में प्रतिपुष्टि के मूल्यांकन में कुछ चुनौतियाँ सामने आईं है। अच्छे होटलों को पैनल में शामिल करने के सुझावों, भोजन की सुविधाओं और

आवास से जुड़े प्रतिपुष्टि को असंबद्ध करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। कुछ विशेष आईएस पाठ्यक्रमों में आधारभूत ज्ञान रखने वाले प्रतिभागियों की आवश्यकता को जाना गया तथा प्रथम दिन के एडवांस कोर्स के बुनियादी अवधारणाओं पर पुन: ध्यान देने के लिए संस्तुति की गई। बैठक में सी.भ.स.ले.प.अ (डी.आर.ए.ए.ओ) के लिए संशोधित प्रशिक्षण स्वरूप, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा अधिकारियों को संकाय तथा ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन हेतु शामिल किया गया। इसके अलावा चर्चाओं में मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल और ई- कंपेंडियम विज्ञप्ति सहित केस अध्ययन को भी शामिल किया गया। अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (स्थानीय शासन) के दौरे तथा पंचायती राज संस्थाओं में लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य पर ध्यान दिया गया। इसरो के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा सुदूर संवेदन एवं जीआईएस विषय पर सफल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया, साथ ही सी.भ.स.ले.प.अ(डी.आर.ए.ए.ओ) को ऐसे सत्रों से लाभ उठाने के सुझाव भी दिए गए। बैठक इस अभिस्वीकृति के साथ समाप्त हुई कि शेष वर्ष के लिए कोई नई प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का सुझाव नहीं दिया गया तथा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सत्र का अंत हुआ।

(ख) प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (जुलाई 2023 से सितंबर 2023)

(i) सीजीएलई 2019 और 2020 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ(डी.आर.ए.ए.ओ) के लिए चरण- I के भाग-II का प्रशिक्षण(14 जून से 02 अगस्त 2023) से शुरु हुआ।

सीधे भर्ती हुए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण के चरण-I के भाग-II का आरंभ 14 जून 2023 से हुआ। इस प्रशिक्षण सत्र में 44 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें 32 सीधे भर्ती हुए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने चरण-I के भाग-1 का प्रशिक्षण पहले ही प्राप्त कर लिया था तथा 12 अन्य नए भर्ती हुए अधिकारियों ने भी इसमें इसमें भाग लिया।

चरण-II के प्रशिक्षण का केन्द्रविंदु अभ्यर्थियों को विभाग की विस्तृत जानकारी प्रदान करना, उनके प्रशासनिक और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना तथा अप्रशिक्षित कार्मिकों क्षमता निर्माण करना था। इसका उद्देश्य व्यावहारिक अभिविन्यास, प्रेरणा, कौशल और ज्ञान को बढ़ाना और सामान्य तथा कार्यक्षेत्र-विशिष्ट दक्षताओं को विकसित करना था।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में तीन प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया:

(i) सामान्य एवं प्रशासनिक विषय: इसके अंतर्गत सांख्यिकीय नमूनाकरण, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के बारे में सामान्य जागरूकता, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ई-क्रांति मिशन, डाटा विज़ुअलाइज़ेशन और प्रस्तुति कौशल, भारत में कराधान के सिद्धांत, वस्तु एवं सेवा कर, परिचयात्मक अर्थशास्त्र, राजस्व जुटाना और आवंटन, आरबीआई की मौद्रिक नीति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, सतत विकास लक्ष्य और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसके अलावा, प्रतिभागियों ने विनियोग और वित्त खातों का भी अनुभव प्राप्त किया।

(ii) लेखापरीक्षा और रेलवे से संबंधित विषय: इस खंड में विनियोग और वित्त खातों की लेखापरीक्षा, रेलवे के निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले का अध्ययन, परियोजनाओं और अनुबंध प्रबंधन की लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया प्रबंधन, विनियोग खातों और वित्त खातों की लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों का अध्ययन, रेलवे की लेखापरीक्षा, मैकेनिकल विभाग और विभिन्न प्रकार के रोलिंग स्टॉक की भूमिका और हाल में हुए तकनीकी परिवर्तन से संबंधित मामलों के अध्ययन जैसे विषयों पर गंभीरता से जानकारी प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत उपर्युक्त पर्यावरण नियमन और पर्यावरण लेखापरीक्षा की मूल बातों के साथ-साथ पर्यावरण लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन में जीआईएस और सुदूर संवेदन के प्रयोग की आवश्यकता को भी शामिल किया गया हैं।

(iii) व्यक्तित्व विकास से संबंधित विषय: ये सत्र प्रतिभागियों के व्यक्तित्व और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित था। इन विषयों के अंतर्गत ओएलक्यू ग्रोथ माइंडसेट पूर्वाग्रह, टीम के खिलाड़ियों का कौशल, प्रभावशाली/प्रोत्साहन कौशल, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, मुखरता, रचनात्मक आलोचना करना और उसे नियंत्रित करना, संचार कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण, पर्यवेक्षी कौशल और तालमेल निर्माण शामिल हैं। प्रशिक्षण के अनुभव को समृद्ध बनाने हेतु बाह्य संकाय सदस्यों को उनकी विशेषज्ञता साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया था। इन विशेषज्ञों में श्रम आयुक्तालय, पश्चिम बंगाल सरकार से उप श्रम आयुक्त (पी), अनन्या दत्ता चौधरी, श्री सुब्रत मित्रा, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में सहायक निदेशक, गौतम दास गुप्ता (सेवानिवृत्त) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में सहायक निदेशक, राजनवीर सिंह कपूर, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम में प्रबंध निदेशक, श्री अमरजीत वर्मा, भारतीय रेलवे में एएमआर/एनसीसी, सुश्री उज्जैनी मुखोपाध्याय, पूर्वी कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज, कोलकाता की प्रधानाध्यापक, सुश्री अजंता दे, नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी में संयुक्त सचिव और कार्यक्रम निदेशक, सुश्री पापिया उपाध्याय, एनएसओयू में सहायक प्रोफेसर, श्री राज राजेश, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक, श्री सरफराज आलम, भारतीय रेलवे में उप एफएसीएओ, श्री प्रोसेनजीत सेन, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, आईसीबीआई में मुख्य सशक्तिकरण कोच सुश्री तरनजीत कौर चौहान और विशेषज्ञ प्रशिक्षक श्री अरिजीत घोष जिन्होंने व्यक्तित्व विकास तथा विभिन्न प्रशासनिक और लेखापरीक्षा से संबंधित विषयो पर प्रशिक्षण दिया। बाह्य संकाय सदस्यों के अलावा, इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उत्तम दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुजय बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुशोभन चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री दीपक कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने प्रशासनिक और लेखापरीक्षा विषयों पर सत्र आयोजित कर प्रतिभागियों को संपूर्ण प्रशिक्षण का अनुभव प्राप्त कराने में अपना योगदान दिया ।

2019 और 2020 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ.(डीआरएएओ) तथा क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.सं, कोलकाता के संकाय सदस्यों के साथ क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.सं, कोलकाता के प्रधान निदेशक श्री अनादि मिश्र

(ii) सीजीएलई 2020 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ.(डीआरएएओ) के लिए चरण- I के भाग- I का प्रशिक्षण (03 अगस्त से 13 सितंबर 2023)

सीजीएलई 2020 बैच के सीधे भर्ती हुए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण के चरण-I के भाग-I का समापन 03 अगस्त 2023 को हुआ। प्रशिक्षण में सीधे भर्ती हुए 12 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में इसका प्राथमिक उद्देश्य अभ्यर्थियों को नवंबर 2023 में आयोजित होने वाले अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए अधीनस्थ सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम की तलाश की गई।

अधीनस्थ सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न-पत्रों को शामिल किए गया जो संबंधित विषय क्षेत्रों के लिए

बनाया गया था। प्रशिक्षण सत्रों में रेलवे लेखापरीक्षा की नियमावली, कार्यशाला लेखापरीक्षा, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, यातायात राजस्व, भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली खंड-I, भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली खंड-II, वित्तीय नियम और वित्तीय लेखापरीक्षा के प्रावधान, रेलवे खातों के सिद्धांत, लेखा विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड, रेलवे खातों के सिद्धांत, आईआरसीए टैरिफ, इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड, डाटाबेस प्रबंधन, एमएस ऑफिस, सांख्यिकीय नमूनाकरण आदि से संबंधित विषय शामिल थे।

प्रशिक्षण के अनुभव को बढ़ाने के लिए, भारतीय रेलवे के संकाय सदस्यों को रेलवे से संबंधित विषयों की बृहद जानकारी प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। विभिन्न भा.ले.व.ले.वि. कार्यालयों और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान जैसे प्रतिष्ठित व्यवसायी संगठनों से जुड़े विशेषज्ञों को भी पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों की व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए संकाय सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया गया था।

चरण-I के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाह्य संकाय सदस्यों को शामिल किया गया जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता साझा किया। उन विशेषज्ञों में श्री रामावतार शर्मा, प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, जयपुर, श्री हृतुराज सिंह, उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक, लेखापरीक्षा, आयुध कारखाना, कोलकाता, अनन्या दत्ता चौधरी, उप श्रम आयुक्त (पी),श्रम आयुक्तालय, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री प्रोसेनजीत सेन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), कोलकाता, श्री रूपम भट्टाचार्य, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता, श्री प्रणव कुमार सिकदर, आईसीएआई-सीएमए, श्री जॉयदेब चक्रवर्ती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे उत्पादन इकाइयां और मेट्रो रेलवे, कोलकाता, श्री गौतम रॉय, पूर्व-एएफए, भारतीय रेलवे, श्री विश्वजीत बसाक, एएफए, भारतीय रेलवे, श्री एहतेशाम अहमद, वाणिज्यिक निरीक्षक, रेल परिवहन संस्थान, सीनी, श्री रतन साहा, एस.ओ(ए), कार्यालय एफ एवं सीओ, दक्षिण पूर्व रेलवे, श्री कार्तिक सिंह, उप. सीसीएम/जी/मुख्यालय, पूर्वी रेलवे, कोलकाता, श्री कृष्ण कांत गोयल, एफए एवं सीएओ (बी एवं बी), पूर्व रेलवे, सुश्री मीता रॉय, एएफए/बी एवं बी और पीएफए के सचिव, भारतीय रेलवे, श्री सुरेश प्रसाद सिंह, कार्यकारी अभियंता/परियोजना, भारतीय रेलवे, श्री बिश्व नारायण बनर्जी, सहायक कार्मिक अधिकारी, पूर्व रेलवे, कोलकाता, श्री संदीप कोनार, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), पश्चिम बंगाल, श्री मानश बंद्योपाध्याय, विशेषज्ञ संकाय (आईटी), आईटी विशेषज्ञ और हेमंत कुमार पाल, स्व-रोज़गार शामिल थे। उनके विविध अनुभव और ज्ञान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित किया, जिससे प्रतिभागियों को संपूर्ण और व्यापक रूप से सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ। बाह्य संकाय

सदस्यों के अतिरिक्त, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता के इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री रंजन दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुजय बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पारिजात सैकिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दीपक कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्रों का संचालन किया। उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थियों का अनुभव काफी अच्छा रहा।

लेखांकन विषय पर प्रशिक्षण सत्र के दौरान श्री देवर्षि भुवालका, चार्टर्ड अकाउंटेंट

क्षे.क्ष.नि.एवं.ज्ञा.सं के प्रधान निदेशक, श्री अनादि मिश्र, सीजीएलई 2020 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ.(डीआरएएओ) के साथ।

(iii) सीजीएलई 2021 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ.(डीआरएएओ) के लिए चरण- I के भाग- I का प्रशिक्षण (25 सितंबर से 04 नवंबर, 2023 तक)

सीजीएलई 2021 बैच के सीधे भर्ती हुए सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण के चरण-I के भाग-1 का शुभारंभ 25 सितंबर 2023 से हुआ। प्रशिक्षण में सीधे भर्ती किए गए 13 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों को नवंबर 2023 में आयोजित होने वाली अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, अधीनस्थ सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन किया गया, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना था।

अधीनस्थ सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में विविध प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र विशिष्ट विषय क्षेत्र से संबंधित था। प्रशिक्षण सत्र में रेलवे लेखापरीक्षा, नियमावली कार्यशाला लेखापरीक्षा, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, यातायात राजस्व, भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली खंड-I, भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली खंड-II, वित्तीय नियम, वित्तीय लेखापरीक्षा प्रावधान, रेलवे खातों के सिद्धांत, लेखा विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड, आईआरसीए टैरिफ, इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड, डाटाबेस प्रबंधन, एमएस ऑफिस, सांख्यिकीय नमूनाकरण तथा इनसे संबंधित बहुत से विषय शामिल थे।

इस बार, पिछले बैचों की प्रतिपुष्टि के आधार पर, रेलवे के प्रश्न पत्रों और विषयों को प्राथमिकता दी गई तथा उनसे संबंधित विषयों को समय पर पूरा किया गया। अभ्यर्थियों को रेलवे से संबंधित विषयों पर श्रेष्ठतर विवरण प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे के संकाय सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम में शामिल विषयों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए भा.ले.व.ले.वि. के विभिन्न कार्यालयों से विषय से संबंधित विशेषज्ञों को संकाय सदस्य के रूप में बुलाया गया था।

चरण-1 के प्रशिक्षण में बाह्य संकाय सदस्यों में सुश्री अदिति शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, श्री पवन कुमार कोंडा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, श्री बिश्वा नारायण बनर्जी, सहायक कार्मिक अधिकारी, भारतीय रेलवे तथा भारतीय रेलवे से श्री हरेकृष्ण परिदा, सहायक कार्मिक अधिकारी शामिल थे।

बाह्य संकाय सदस्यों के अतिरिक्त, इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री रंजन दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुजय बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री उत्तम दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री दीपक कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सत्र आवंटित किए गए।

प्रधान निदेशक, श्री अनादि मिश्र, क्षे.क्ष.नि.एवं.ज्ञा.सं, कोलकाता सीजीएलई 2021 बैच के सी.भ.स.ले.प.अ.(डीआरएएओ) के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान स्थायी संकाय श्री सुजय बनर्जी, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के साथ

(iv) नवनियुक्त प्रभागीय लेखाकारों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण (21 अगस्त से 05 सितंबर 2023)

नव नियुक्त प्रभागीय लेखाकारों का प्रारंभिक प्रशिक्षण 21 अगस्त से 05 सितंबर 2023 तक क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता में आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभागीय लेखाकारों की भूमिका से जुड़े विभाग और विशिष्ट कार्यक्षेत्रों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान निदेशक के स्वागत व्याख्यान से शुरू हुई, इसके बाद कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल से श्री सतीश एम, उपमहालेखाकार ने एक सत्र लिया। इस सत्र के दौरान, उन्होंने विभाग के जनादेश, अवलोकन, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य पर विस्तार से बताया।

प्रारंभिक प्रशिक्षण में मुख्यत: तीन विषयों को शामिल किया गया था- सामान्य प्रशासनिक और आईटी-संबंधित विषय,

कार्यक्षेत्र-विशिष्ट ज्ञान और व्यक्तित्व प्रबंधन। इन विषयों में एफआरएसआर की परिभाषाएँ, वेतन नियम, सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972, सीसीएस (आचरण) नियम 1964, सामान्य प्रशासनिक नियम, कार्यों के लिए बजट और बजटीय प्रावधान, लेखा समाधान, अनुपूरक अनुदान, विनियोग और पुनर्विनियोग, निविदा प्रक्रिया, तकनीकी मंजूरी, प्रशासनिक अनुमोदन और बिल की राशि जैसे कार्यो की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। अन्य विषयों में अनुबंधों के प्रकार, निविदाओं की तैयारी और मूल्यांकन की प्रक्रिया का अवलोकन, वस्तु, सेवाओं (2017) और कार्यों (2019) की खरीद पर वित्त मंत्रालय की नियमावली के साथ-साथ विभागीय और कें.स.आ. (केंद्रीय सतर्कता आयोग), निविदाओं और नीलामी के मूल्यांकन पर नियमावली और निर्देश के बारे में जागरूकता को शामिल किया गया।

इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण में सीपीडब्ल्यूडी नियमावली और सीपीडब्ल्यूए कोड, अनुबंध अधिनियम 1872, मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996, विभागीय और सीवीसी नियमावली, पूर्व-योग्यता पर अनुदेश, दो तरह की नीलामी प्रणाली और वैश्विक निविदाएं शामिल थीं। प्रतिभागियों को निविदा दस्तावेजों की बिक्री और उनके लेखांकन, अराज (अग्रिम राशि जमा) और निष्पादन प्रत्याभूति का संग्रह, तथा अराज का प्रतिदाय, तुलनात्मक विवरण तैयार करने और नीलामी के मूल्यांकन, निविदा प्रक्रिया और अनुबंधों के पुरस्कार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों/ जिसमें समझौता/ निविदा शर्तें, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का परिचय जैसे विषय से भी अवगत कराया गया।

इसके अलावा, प्रशिक्षण में अनुबंध प्रबंधन, अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान जांच, जीएफआर 2017, कार्य का समय, सामयिक खाता बिल का विभागीय प्रावधान, पश्चिम बंगाल राजकोषीय नियम, ई-ऑफिस का आधारभूत अभ्यास, एमएस-वर्ड, एमएस एक्सेल का आधारभूत अभ्यास, संचार और प्रोत्साहन शामिल था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाह्य संकाय सदस्यों ने प्रतिभागियों को अपनी विशेषज्ञता प्रदान किया। प्रभागीय लेखा अधिकारियों में श्री कौशिक रे, श्री प्रदीप कुमार सेनापति, बिकास चंद्र चंदा, सम्राट मुखर्जी, श्री तापस रॉय, श्री जन्मेंजॉय रॉय, श्री अभिषेक विश्वास, देवासिस पहाड़ी, अरिंदम चौधरी और आलोक कुमार चक्रवर्ती ने कार्यक्षेत्र-विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री सुभाष बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता ने भी निविदा मूल्यांकन और कार्यों के प्रतिफल से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सत्र लिये, जिसमें विचार-विमर्श और उससे संबंधित मामलों का अध्ययन शामिल था। मुख्य सशक्तिकरण प्रशिक्षक सुश्री तरनजीत कौर चौहान ने संचार और प्रोत्साहन पर प्रशिक्षण का आयोजन किया। इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उत्तम दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पूनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पारिजात सैकिया, सहायक लेखापरीक्षा

अधिकारी और श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने प्रशिक्षण सत्र को संपन्न बनाया जिन्होंने विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से अपनी अंतदृष्टि तथा विशेषज्ञता साझा की। कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होने के कारण, प्रतिभागियों को कार्यालय महालेखाकार (ले. व ह), पश्चिम बंगाल का का दौरा करने का अवसर मिला। इस गहन अनुभव ने एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे उनकी शैक्षिक यात्रा में और वृद्धि हुई।

प्रधान निदेशक, श्री अनादि मिश्र, क्षे.क्ष.नि.एवं.ज्ञा.सं, कोलकाता प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम के दौरान प्रभागीय लेखाकारों के साथ

(ग) मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (जुलाई 2023 से सितंबर 2023)

विभाग में एक निश्चित अवधि की सेवा देने वाले वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 में

शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य एक व्यावसायिक, निष्पक्ष और कुशल अधिकारी तैयार करना है जो विभाग की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हो। एमसीटीपी के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारियों के पास उन्हें सौंपे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति हो। क्षे.क्ष.नि.एवं.ज्ञा.सं, कोलकाता ने जुलाई से सितंबर 2023 के दौरान निम्नलिखित एमसीटीपी प्रशिक्षण का आयोजन किया।

(i)एमसीटीपी-स्तर 3 का प्रशिक्षण 02 अगस्त से 09 अगस्त 2023 तक निर्धारित किया गया।

एमसीटीपी स्तर-3 का प्रशिक्षण विशेष रूप से उन अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग में न्यूनतम बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। अगस्त 2023 में एमसीटीपी स्तर-3 का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सॉफ्ट स्किल से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों की क्षमताओं को बढ़ाना था। इन विषयों में विश्लेषणात्मक विचार, व्यवस्थित चरण-दर-चरण समस्या-समाधान के प्रति दृष्टिकोण, समस्या का समाधान करने के लिए व्यवस्थित और तर्कसंगत पद्धतियां, कारण को जानना, अप्रत्याशित परिणामों की आशंका, समय और तनाव प्रबंधन, कार्य और जीवन के बीच संतुलन स्थापित करना, कार्यों में हूए परिवर्तन को अपनाना और वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी से संबद्ध अपेक्षाओं का प्रबंधन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण में व्यवसायिक और व्यवहारकुशल आचरण, टीम भावना को बढ़ावा देने, आंतरिक नियंत्रण को समझने और धोखाधड़ी का पता लगाने तथा फोरेंसिक की बारीकियों को समझने से संबंधित क्षेत्रों को शामिल किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए विशिष्ट विषयों पर चर्चा की गई। इसमें आईटी परिवेश में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा के संदर्भ में डाटा विश्लेषण, दूरस्थ लेखापरीक्षा की अवधारणा, प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन (जीआरसी) की अवधारणा, ई-शासन को समझना, सार्वजनिक व्यय, राजस्व के स्रोत, हितधारक जुड़ाव सिद्धांत रूपरेखा, और केन्द्रबिंदु क्षेत्र तथा वैश्विक पर्यावरण संकट के बारे में जानना और इसे प्रबंधित करने के लिए नियोजित शासन के साधन की तलाश जैसे विषय शामिल किए गए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए संस्थान ने सहयोगी कार्यालयों और विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों को आमंत्रित किया। इन विशेषज्ञों में श्री अरिजीत घोष, फ्रीलांसर, सुश्री तरनजीत कौर चौहान, मुख्य सशक्तिकरण कोच, आईसीबीआई, श्री विनोद

परिहार, वरिष्ठ उपमहालेखाकार, श्री अरिजीत चक्रवर्ती, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुश्री दीप्ति बग्गा, सहायक लेखा नियंत्रक, केंद्रीय निदेशक कर बोर्ड, श्री पवन कुमार कोंडा, वरिष्ठ उपमहालेखाकार, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री मलय दे, राजस्व उपायुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार, और सुश्री कंकना दास, वन और पर्यावरण हेतु कानूनी पहल करने वाली विश्लेषक शामिल थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम इन-हाउस संकाय सदस्यों के सहयोग से और भी समृद्ध हुआ, जिन संकाय सदस्यों ने इस प्रशिक्षण में योगदान दिया उनमें श्री उत्तम दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, और श्री सुशोभन चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने इस दौरान अपना ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान की।

कार्यक्रम का एक अभिन्न सदस्य होने के कारण, प्रतिभागियों को आरबीआई के संग्रहालय में जाने का मौका मिला। इस अध्ययन-यात्रा ने उन्हें एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे उनके सीखने की यात्रा सम्पूर्ण हुई।

श्री अरिजीत घोष, फ्रीलांसर अपने सत्र के दौरान एमसीटीपी स्तर-3 के प्रतिभागियों के साथ

(i) एमसीटीपी-स्तर-2 का प्रशिक्षण 19 से 26 जुलाई 2023 और 13 से 20 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया।

एमसीटीपी स्तर-2 का प्रशिक्षण विशेष रूप से उन अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया जिन्होंने सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग में न्यूनतम सात साल की सेवा पूरी कर ली थी। दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें से एक जुलाई 2023 में और दूसरा सितंबर 2023 में हुआ।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रतिभागियों की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सॉफ्ट स्किल विषयों की एक विविध श्रृंखला को शामिल किया गया। इन विषयों में व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों, आंतरिक और बाह्य हितधारकों के साथ प्रभावी संचार, शाब्दिक और अशाब्दिक संचार, सामाजिक कौशल, शिष्टाचार, ध्यानपूर्वक सूनना, समूह की गतिशीलता और उसके कार्य, प्रेरणा, व्यक्तित्व विकास में प्रोत्साहन की भूमिका, रूढ़िवादिता और इसके प्रभाव, और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 शामिल था । इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण में विस्तृत डाटादृष्टिकोण को अपनाना, पर्यावरण और सतत विकास का आधार, 2030 के सतत विकास कार्यसूची का परिचय और सतत विकास लक्ष्य (सविल) जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया और आवश्यकताओं के आधार पर, सितंबर 2023 में आयोजित होने वाले एमसीटीपी स्तर-2 के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया। स्वायत्त निकायों के एसएआर, ओआईओएस, ईएचआरएमएस और विस्तृत डाटा दृष्टिकोण से संबंधित मामले, आई.ए.ए.डी विस्तृत डाटा नीति, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों का दिशानिर्देश और अवलोकन, आईटी परिवेश में जोखिम और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को अधिक प्रमुखता दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों को विभिन्न सहयोगी कार्यालयों से बुलाया गया था और चुनिंदा फ्रीलांस विशेषज्ञों को भी योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। संकाय सदस्यों में श्री अतुल प्रकाश, महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (ले. व. ह.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री संजय कुमार, प्रधान निदेशक, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), लखनऊ, श्री संतोष विट्ठल डवारे, निदेशक, कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग), नई दिल्ली, श्री अरिजीत घोष, फ्रीलांसर, श्री देबजीत गोस्वामी, सहायक प्राध्यापक, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, श्री देबब्रत सेनगुप्ता, उप महाप्रबंधक और श्री सिबब्रत पाल, उपमहाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, सुश्री संजीना गुप्ता, रंगीन खिड़की फाउंडेशन की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री राजर्षि मुखर्जी, आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के पूर्व सुविधाकर्ता, सुश्री अपरूपा दत्ता, वाई-ईस्ट में प्रोजेक्ट्स और हितधारक प्रबंधक (टेक्नो इंडिया समूह का गैर-सरकारी संगठन)और सुश्री तरणजीत

कौर चौहान, आईसीबीआई में मुख्य सशक्तिकरण कोच शामिल थे। ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री सुशोभन चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने अपना योगदान दिया तथा पाठ्यक्रम के दौरान अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा किया।

कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक का हिस्सा होने के नाते, प्रतिभागियों के लिए आयुध निर्माणी, दमदम और 4 नंबर भेरी फिशरमैन कंपनी सोसाइटी लिमिटेड मे अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका प्रतिभागियों ने काफी प्रशंसा किया।

श्री अनादि मिश्र, प्रधान निदेशक, क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता और श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (संकाय) एमसीटीपी स्तर-2 के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर

(घ) ज्ञान केंद्र की गतिविधियाँ (जुलाई 2023 से सितंबर 2023)

(i) ***03 से 07 जुलाई 2023 को पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।***

पंचायती राज संस्थाएँ (पंरासं) ग्रामीण भारत के शासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये विकेंद्रीकृत, स्थानीय स्व-सरकारी निकाय नागरिकों को जमीनी स्तर

पर सशक्त बनाते हैं, जिससे उन्हें निर्णय लेने में मदद मिलती हैं तथा स्थानीय मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता मिलती है। पंरासं विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की आधारशिला हैं, जो नागरिकों की भागीदारी, स्थानीय विकास तथा ग्रामीण भारत में जवाबदेह शासन को बढ़ावा देते हैं।व्यापक एवं सतत ग्रामीण विकास को प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता।

पंचायती राज संस्थाओं का लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि जनता के धन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए, गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय जनता को सशक्त बनाया जाए। लेखापरीक्षा विसंगतियों, अनियमितताओं और निधि के दुरुपयोग की पहचान करने, सुधारात्मक कार्यों को सुदृढ़ करने और संसाधनो के आवंटन में बराबरी को बढ़ावा देने में भी सहायता करता है।

प्रशिक्षण का प्रारंभ प्रधान निदेशक ने प्रतिभागियों के स्वागत के साथ किया। प्रशिक्षण में भाग लेने वालों में तीन समूह अधिकारियों के साथ-साथ पूरे देश से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों ने भी भाग लिया।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा, मनरेगा और केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में संपत्ति निर्माण से संबंधित गतिविधि-आधारित लेखापरीक्षा, चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पंचायती राज संस्थाओं का विधायी ढांचा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का सामाजिक लेखापरीक्षा, और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से संबंधित मामलों का अध्ययन सहित कई विषयों को शामिल किया गया।

बाह्य संकाय सदस्यों में श्री सुजीत कुमार दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), मध्य प्रदेश, ग्वालियर, श्री रुद्र बिहारी शरण, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखंड, रांची, श्री अमित बाणिक, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री नरेंद्र सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर और श्री ए.वी.एन. पन्तुलु, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर शामिल थे।

इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उत्तम दास, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी और श्री दीपक कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अपना योगदान दिया तथा अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा किया।

प्रतिभागियों को गंगा नदी का भ्रमण कराया गया तथा नदी के किनारे बने क्रूज दौरे पर ले जाया गया, जिससे उनके सीखने के अनुभव में वृद्धि हुई।

श्री अतुल प्रकाश, पूर्व प्रधान निदेशक, क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

(ii) 20 *से* **22** *सितंबर* **2023** *को रेलवे कार्यों की लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।*

रेलवे के कार्यो की लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह भारत में विशाल रेलवे नेटवर्क की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता हैं। भारतीय रेलवे में निम्न बुनियादी ढांचे और रखरखाव परियोजनाओं का आकलन और लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों को आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने का यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। लेखापरीक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधनों के प्रभावी उपयोग में योगदान देना, वित्तीय अनियमितताओं को रोकना और अंततः विश्व की सबसे बड़ी रेलवे प्रणालियों में से उक्त के सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन में सहायता करना है। ऐसे देश में जहां रेलवे नेटवर्क लाखों लोगों के लिए जीवन-रेखा है, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रेलवे के कार्यों की अखंडता और स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रशिक्षण की शुरुआत प्रधान निदेशक ने प्रतिभागियों के स्वागत के साथ आरंभ

किया। प्रशिक्षण में भाग लेने वालों में पूरे देश से रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों के सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

इस विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है, ताकि प्रतिभागियों को विस्तृत ज्ञान और जानकारी प्रदान की जा सके। इसके अंतर्गत रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग विभाग की भूमिका, ट्रैक नवीनीकरण और लेवल क्रॉसिंग जैसे विभिन्न ओपन लाइन कार्यों की संस्वीकृति, तैयारी और निष्कर्षो के सत्यापन के कुछ प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालना शामिल है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में इंजीनियरिंग विभाग द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आईटी अनुप्रयोगों की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें विशेष रूप से भारतीय रेलवे के परियोजनाओं के अनुमोदन और प्रबंधन (आईआरपीएसएम) पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में नई लाइन, गेज रूपांतरण, दोहरीकरण, यातायात सुविधाएं और रोड के ऊपर बने पुल (आरओबी)/ पुल के नीचे बने सड़क (आरयूबी)/ फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) सहित विभिन्न परियोजना प्रमुखों से जुड़े निर्माण परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति, तैयारी और निष्कर्षो तथा निविदा प्रक्रियाओं की जांच के बिंदुओं में आवश्यक अंतर्दृष्टि शामिल है। पाठ्यक्रम में अनुबंध प्रबंधन के संबंध में परियोजना प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें विशेष रूप से नई लाइनों, गेज परिवर्तन, दोहरीकरण, यातायात सुविधाएं, आरओबी/आरयूबी/एलएचएस/एफओबी और ट्रैक नवीनीकरण से जुड़ी परियोजनाओं पर जोड़ दिया गया। इसके अलावा प्रशिक्षण में साइडिंग से संबंधित परियोजनाओं के महत्वपूर्ण पहलुओं और ट्रैक प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) की प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया।

संस्वीकृति, निष्कर्षो, अत्यावश्यक प्रमाणपत्रों, निविदा और अनुबंधों के संदर्भ जिसमें विविधताएं और खामियां भी थी उसके आंतरिक लेखापरीक्षा की तलाश करना भी कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा था । इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों की जांच करते रहे तथा रेलवे कार्यों और उसकी परियोजनाओं से संबंधित मामलों का अध्ययन भी किया।

बाह्य संकाय सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हूए। बाह्य विशेषज्ञों की सूची में दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता से श्री रवि कुमार गौतम, एक्सईएन/प्लानिंग/जीआरसी; दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता से श्री कंचन कुमार कुंडू, उप. मुख्य अभियंता (निर्माण - सेवानिवृत्त); पूर्व रेलवे, कोलकाता से श्री सौविक साहा, एईएन/टीआरजी/एचक्यू। पूर्व रेलवे, कोलकाता से श्री तीर्थंकर घोष; पूर्व रेलवे, कोलकाता से सुश्री मीता रॉय, एएफए/बी व बी और पीएफए के सचिव, और कार्यालय महानिदेशक, लेखापरीक्षा (पूर्वी रेलवे), कोलकाता से श्री सुभासिस बनर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को शामिल किया गया।

प्रशिक्षण को प्रतिभागियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया और सराहना मिली, जिससे उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में इसकी प्रभावशीलता और महत्व को रेखांकित किया गया।

श्री अनादि मिश्र, प्रधान निदेशक, क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता रेलवे के कार्यो की लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ

(iii) *संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (संप्रमॉ)/केस स्टडीज की तैयारी*

इस तिमाही के दौरान दो केस स्टडीज तैयार किए गए जिनमें (***i)*** "ऊचे दरों पर मकान किराया भत्ते का भुगतान" (***ii)*** "सीमित ऊंचाई वाले भूमिगत मार्ग का निर्माण और उसके संरक्षण" पर केस स्टडी तैयार की गई और अनुमोदन के लिए मुख्यालय को प्रस्तुत की गई। इनमें से, "ऊचे दरों पर मकान किराए भत्ते के भुगतान" पर केस स्टडी को मुख्यालय कार्यालय द्वारा अनुमोदित और प्रसारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस तिमाही के दौरान "भारतीय रेलवे में ट्रेनों की समयपालनता और समय पर यात्रा" पर एक अन्य केस स्टडी को भी अनुमोदित किया गया और उसका प्रसार किया गया।

तिमाही के दौरान इंड-एएस के एसटीएम पर समकक्ष समीक्षा की टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। समकक्ष समीक्षा टिप्पणियों की अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

केस स्टडीज के ई-संकलन के दूसरे संस्करण का मसौदा, जिसे ऑडिट दिवस, *2023* के अवसर पर जारी किया जाना था, मुख्यालय

कार्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा क्यूआर कोड प्रविष्टि के लिए इस कार्यालय को भेज दिया गया है। ई-संकलन के अनुमोदित संस्करण में क्यूआर कोड जोड़ने के बाद इसे मुख्यालय कार्यालय को भेजा गया था।

(क) सामान्य प्रशिक्षण

(i) राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन के अधिकारियों का प्रशिक्षण (07 *से* 25 *अगस्त* 2023)

राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय कोलकाता में हैं। 1956 में स्थापित थीमैटिक मानचित्रण सेवाओं में अग्रणी, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन देश की एकमात्र एजेंसी है जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए थीमैटिक मानचित्रों और एटलस की आवश्यकताओं को पूरा करती है। राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन के पास सठीकता के साथ संसाधित स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा का सबसे बड़ा भंडार है। बदलते समय के साथ, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन जीआईएस, जीपीएस और सुदूर संवेदन जैसी नवीनतम तकनीकों के साथ भी तालमेल बनाए रखा है। जनशक्ति के प्रभावी प्रबंधन हेतु अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन द्वारा संपर्क किया जा रहा है, सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन के उपरान्त अगस्त 2023 में तीन सप्ताह का एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में केंद्र सरकार के प्रशासनिक और स्थापना संबधी मामलों को शामिल किया गया।

पाठ्यक्रम में समय और कार्य प्रबंधन, जवाबदेही में प्राथमिकता और बहुत से कार्यों और परियोजनाओं के प्रबंधन को शामिल किया गया। संवाद प्राविधि, मध्यस्थता, विवाद का समाधान, नेतृत्व और टीम बनाने के साथ-साथ प्रभावी संचार कौशल जिसमें मौखिक, लिखित और गैर-मौखिक संचार भी शामिल है उसपर प्रकाश डाला गया।

परिवर्तन प्रबंधन और नवाचार तकनीकों पर चर्चा की गई, जिसमें लोक प्रशासन में नैतिकता और अखंडता के महत्व पर जोर दिया गया तथा नैतिक असमंजसता और हितों के टकराव को रेखांकित किया गया।

प्रतिभागी केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1965; विभागीय समितियाँ, स्थानांतरण और पोस्टिंग के दिशानिर्देश, और सेवा संगठन से परिचित हुए।

पाठ्यक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान, वेतन और भत्ते, आयकर और वेतन में कटौती सेवानिवृत्ति की प्रक्रियाओं, पेंशन के नियमों और हकदारी का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही अवकाश यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, सीसीएस (कार्यग्रहण अवधि) नियम, 1979, डिजिटल कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना, सरकारी लेखांकन सिद्धांतों और अवधारणाओं, व्यय नियंत्रण और निगरानी, प्राप्तियां और राजस्व लेखांकन, कार्य प्रबंधन और अभिलेखों का संरक्षण जैसे विषयों को शामिल किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को बाह्य संकाय सदस्यों के साथ ही विभिन्न विभागों से विशेषज्ञता प्राप्त आहर्ता विशेषज्ञ और अनुभवी फ्रीलांसरों से बहुत लाभ हुआ। कार्यक्रम में उल्लेखनीय सहयोगियों में सुश्री अदिति शर्मा, वरिष्ठ उपमहालेखाकार, श्री पवन कुमार कोंडा, वरिष्ठ उपमहालेखाकार, श्री पृथ्वीजीत दे, एमसीए, श्री मुकुल जमलोकी, उपमहालेखाकार, श्री अरिजीत चक्रवर्ती, सीए, आईसीएआई, सुश्री दीप्ति बग्गा, सहायक लेखा नियंत्रक, सुश्री तरणजीत कौर चौहान, सशक्तिकरण कोच, श्री अरिजीत घोष, विशेषज्ञ प्रशिक्षक, श्री राजर्षि मुखर्जी, विशेषज्ञ प्रशिक्षक, श्री देबजीत गोस्वामी, सहायक प्राध्यापक (एनएसओयू), सुश्री संजीना गुप्ता, रंगीन खिड़की फाउंडेशन, श्री विश्वजीत पंडित , वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री उत्पल कुमार घोष, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री प्रसेनजीत सेन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुभासिस दासगुप्ता, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, श्री सुबोध कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री देबरती दत्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पंकज कुमार सरदार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री कार्तिक चंद्र गायेन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री बरुण कुमार, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय,पीएओ (स्वास्थ्य), कोलकाता को शामिल किया गया। उनकी सामूहिक विशेषज्ञता ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को समृद्ध किया, जिससे प्रतिभागियों को व्यापक अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्राप्त हुआ।

इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री रंजन दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ने कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण सत्र आयोजन किया।

श्री अनादि मिश्र, प्रधान निदेशक, क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता के प्रतिभागियों के साथ

(ii) एनआरएससी, इसरो (*28* अगस्त से *02* सितंबर *2023)* के सहयोग से सुदूर संवेदन और जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से संचालित सुदूर संवेदन और जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सीएजी लेखापरीक्षको (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रशिक्षण लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा के दौरान उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और कार्यप्रणालियों से लैस करने में मदद करता हैं। सुदूर संवेदन और जीआईएस प्रौद्योगिकियां लेखा परीक्षकों को भू-स्थानिक डाटा को जानने, विश्लेषण करने और कल्पना करने की क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अधिक व्यापक मूल्यांकन संभव हो पाता है।

इन उन्नत तकनीकों को अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रयोग करके, लेखापरीक्षक अपने काम की सठीकता और कार्यक्षमता में सुधार ला सकते हैं। एनआरएससी, इसरो के साथ यह सहयोग प्रभावी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे डिजिटल युग में सरकारी लेखापरीक्षा की उभरती चुनौतियों का सामना करने तथा सीएजी लेखापरीक्षको को

सशक्त बनाने में प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है।

प्रधान निदेशक ने मुख्य अतिथि डॉ. विनोद कुमार के, एसोसिएट निदेशक, एनआरएससी की उपस्थिति में प्रशिक्षण का आरंभ किया। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु देशभर से छह समूह अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी भी आए थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसरो जियोपोर्टल्स का अवलोकन - भुवन और भूनिधि, भुवन और भूनिधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण, भौगोलिक सूचना प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत, डिजिटल छवि प्रसंस्करण (डीआईपी) और वर्गीकरण, क्यूजीआईएस का व्यावहारिक प्रशिक्षण, रेखापुंज और वेक्टर डाटा, रूप डिजिटलीकरण, त्रुटि निदान, तालिकाओं और योग्यता निर्माण, सुदूर संवेदन की अवधारणाएं, खनिज का पता लगाना, तटीय प्रक्रियाएं, मानचित्र प्रक्षेपण और ज्यामितीय सुधार, जीपीएस के बुनियादी सिद्धांत, जीआईएस पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) और जल संसाधन प्रबंधन में इसके अनुप्रयोग, चित्र विवेचना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता / यंत्र अधिगम, शहरी अनुप्रयोग, जीआईएस पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, ई-गवर्नेंस के लिए भूमि सूचना प्रणाली (एलआईएस), सुदूर संवेदन और जीआईएस का प्रयोग करके कृषि और बागवानी अनुप्रयोग, सुदूर संवेदन और जीआईएस का प्रयोग करके जंगल में लगने वाली आग की वास्तविक समय में निगरानी और उसका पता लगाना, मोबाइल ऐप और एसआईएसडीपी के माध्यम से परिसंपत्ति मानचित्रण जैसे विषयों को शामिल किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के संकाय सदस्यों ने एनआरएससी, इसरो, कोलकाता से विशेषज्ञों की एक विशिष्ट टीम को आमंत्रित किया जिन्होंने प्रशिक्षण के दौरान अपने विस्तृत ज्ञान और अनुभव को साझा किया। संकाय सदस्यों में डॉ. सुपर्ण पाठक, उप महाप्रबंधक, डॉ. आरती पॉल, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ, डॉ. नीरज प्रियदर्शी, वैज्ञानिक/इंजीनियर एसएफ, डॉ. देबाशीष चक्रवर्ती, प्रमुख (अनुप्रयोग), डॉ. अरिंदम गुहा, वैज्ञानिक जी, डॉ. सीएच. वी. चिरंजीवी जयराम, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ, डॉ. तनुमी कुमारी, वैज्ञानिक/इंजीनियर एसएफ, सुश्री शर्मिष्ठा बी पांडे, वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एसई' शामिल थे। ये अधिकारी/वैज्ञानिक आरआरएससी-ई, एनआरएससी, इसरो, कोलकाता से आए थे। इसके अतिरिक्त, एर. सागर सुभाषराव सालुंखे, वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एसई', आरआरएससी-पश्चिम, जोधपुर, डॉ. साधना जैन, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ, आरआरएससी-सेंट्रल, नागपुर, डॉ. सुब्रत नित्यरंजन दास, वैज्ञानिक/इंजीनियर जी, आरआरएससी-ई, डॉ. प्रबीर कुमार दास, वैज्ञानिक-एसएफ, आरआरएससी-ई, डॉ. तनुमी कुमारी, वैज्ञानिक/इंजीनियर एसएफ, आरआरएससी-पूर्व, और डॉ. नीरज प्रियदर्शी, वैज्ञानिक/इंजीनियर एसएफ, आरआरएससी-ई भी शामिल थे। उनकी सामूहिक विशेषज्ञता ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को समृद्ध किया, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि

प्रतिभागियों को उस क्षेत्र के अग्रणी अधिकारियों से अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई।

श्री अनादि मिश्र, प्रधान निदेशक, क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता एनआरएससी, इसरो के सहयोग से सुदूर संवेदन और जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखापरीक्षा के दौरान अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

(iii) *निष्पादन लेखापरीक्षा* (04 से 08 सितंबर 2023)

निष्पादन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण घटक है जो सरकारी कार्यक्रमों, गतिविधि और योजनाओं की अर्थव्यवस्था, प्रभावशीलता और दक्षता को प्रभावित करता है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए विशेष ज्ञान और कौशल प्रदान करने हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

कार्यालय ने सितंबर 2023 में निष्पादन लेखापरीक्षा पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण में निष्पादन लेखापरीक्षा की भूमिका, सामरिक योजना और लेखापरीक्षा के विषयों का चयन, जोखिम मूल्यांकन के सिद्धांत और प्रक्रियाएं, व्यक्तिगत निष्पादन लेखापरीक्षा की डिजाइनिंग और योजना, लेखापरीक्षा के उद्देश्य और मुद्दे का विश्लेषण सहित कई

विषयों को शामिल किया गया। इसमें मानदंड स्थापना, सांख्यिकीय नमूनाकरण और आईडीईए सॉफ्टवेयर सहित सूचना प्रणालियों के प्रयोग की जटिलताओ को समझा गया। इसके अलावा, कार्यक्रम ने निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख पहलुओं जैसे कि साक्ष्य एकत्र करना, विश्लेषण और प्रलेखन को प्रभावित किया, लेखापरीक्षा मानकों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में लेखापरीक्षा प्रलेखन और कार्य - पत्रों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, संस्तुतियों, रिपोर्टिंग, अनुवर्ती प्रक्रियाओं, निष्पादन लेखापरीक्षा का पर्यवेक्षण और शासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के संभावित प्रभावों को विकसित करने पर सत्र आयोजित किए गए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने वाले प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों में सुश्री अदिति शर्मा और श्री पवन कुमार कोंडा, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता से दोनों वरिष्ठ उपमहालेखाकार शामिल थे। इसके अतिरिक्त, श्री अजय कुमार झा, उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय, नई दिल्ली और श्री अक्षय गोपाल, उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा), नई दिल्ली ने अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। कार्यक्रम को कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल से श्री सुप्रिय खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) से श्री देवासिस गोस्वामी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता ने लाभान्वित किया। इसके अलावा, श्री प्रोसेनजीत सेन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), कोलकाता, और श्री बीरेंद्र कुमार झा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता ने प्रशिक्षण को समृद्ध बनाने में अपने ज्ञान और अनुभव साझा किए।

प्रतिपुष्टि में पाया गया उच्च प्रतिफल स्तर पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता और गुणवत्ता को रेखांकित करता है, जो निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र में प्रतिभागियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने में इसके मूल्य की पुष्टि करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सुश्री अदिति शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता।

(iv) *जीएसटी लेखापरीक्षा* (18 *से* 22 *सितंबर* 2023)

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लेखापरीक्षा का प्रशिक्षण विभिन्न कारणों से लेखापरीक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यह लेखापरीक्षकों को जीएसटी कानूनों के साथ व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के अनुपालन का प्रभावी ढंग से लेखापरीक्षा और आकलन करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करता है। दूसरा, जीएसटी कानून जटिल हैं और यह लगातार विकसित हो रहा हैं, जिससे लेखापरीक्षकों के लिए नए नियमों और संशोधनों पर अद्यतन रहना आवश्यक हो गया है ताकि लेखापरीक्षा के दौरान सठीकता और निष्पक्षता आ सके।

इसके अलावा, जीएसटी लेखापरीक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने से लेखापरीक्षकों को टैक्स क्रेडिट इनपुट करने, कर गणना और छूट के प्रावधानों की जटिलताओं को समझने में मदद मिलता है जिससे उन्हें संभावित राजस्व लीकेज और अनियमितताओं को जानने में मदद मिलती है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करके लेखापरीक्षक राजकोषीय अध्ययन को सुदृढ़ करते है ताकि

अनुपालन और सरकारी राजस्व के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इस प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण बातों में जीएसटी कानूनों की व्यापक समझ, व्यावहारिक लेखापरीक्षा के कौशल और अननुपालन तथा संभावित राजस्व प्राप्ति के क्षेत्रों की पहचान करने की क्षमता शामिल है जो अंततः लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता ने सितंबर 2023 में जीएसटी लेखापरीक्षा पर एक पांच दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की भूमिका और गहन अवलोकन के साथ विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया। यह जीएसटी के अन्तर्गत "आपूर्ति" की अवधारणा, आपूर्ति के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाली जटिल व्यवस्था, इनपुट टैक्स क्रेडिट के महत्वपूर्ण पहलूओं, जीएसटी प्रणाली के तहत करों के भुगतान की प्रक्रियाओं और जीएसटी लेखापरीक्षा के नियमों और विनियमों का गहन अन्वेषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन किया गया। प्रतिभागियों को जीएसटी संरचना के अन्तर्गत करों के रिफंड से जुड़ी जटिलताओं के साथ-साथ लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझने में मदद मिलती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण में जीएसटी से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लेखापरीक्षा संबंधित एक विशेष घटक को शामिल किया गया, जो डिजिटल युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है। कार्यक्रम को जीएसटी लेखापरीक्षा के केस स्टडीज के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा के साथ संवर्धित किया गया, जिससे लेखापरीक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में समग्र और व्यावसायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला।

जिन प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को लाभान्वित किया उनमें सुश्री दीपना गोकुलराम, प्रधान निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (केंद्रीय), बेंगलुरु, श्री अनिंद्य दासगुप्ता, महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.व.ह), तेलंगाना, हैदराबाद, श्री आर श्याम, निदेशक, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), आंध्र प्रदेश, अमरावती, श्री सुब्रमण्यम एन.एन., निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता, श्री गौतम दास गुप्ता, सहायक निदेशक (सेवानिवृत्त), राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स, कोलकाता, श्री सुब्रत मित्रा, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स, कोलकाता और श्री दीपक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता शामिल है। उनके सामूहिक ज्ञान और अनुभव ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को समृद्ध किया और प्रतिभागियों को अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की।

पाठ्यक्रम की उल्लेखनीय सफलता प्रतिभागियों की उच्च प्रतिफल स्तर में परिलक्षित होती है, जो पाठ्यक्रम की प्रभावकारिता और समग्र गुणवत्ता का एक

नियम है, जो जीएसटी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में प्रतिभागियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने में इसके महत्वपूर्ण योगदान की पुष्टि करती है।

श्री अनादि मिश्र, प्रधान निदेशक, कोलकाता जीएसटी प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर प्रतिभागियों के साथ

(v)*अन्य सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये*

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जुलाई से सितंबर 2023 की अवधि में क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए:

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों के नाम		
		भा.ले.व.ले.वि. के अंतर्गत	भा.ले.व.ले.वि. के अतिरिक्त अन्य	क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता के इन-हाउस

				संकाय सदस्य
1	लोक निर्माण (10 से 14 जुलाई 2023) सहित अनुबंधो, निविदाओं और अनुबंध प्रबंधन पर लेखापरीक्षा	1. श्री फाल्गुनी बंद्योपाध्याय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता। 2. श्री आलोक सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता। 3. श्री सुभाष बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता। 4. श्री संदेश कुमार नागोतिया, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता	1. श्री अजीत कुमार सिंह, अधीक्षक अभियंता, पीडब्ल्यूडी, पश्चिम, राजमार्ग मंडल, पीडब्ल्यू (सड़क) विभाग। 2. सुश्री नारायण एस.एल. मौनिका, उप प्रबंधक (सिविल), कोल इंडिया लिमिटेड।	शून्य
2	जीएएसएबी (26 से 28 जुलाई 2023) के अन्तर्गत सिविल खाते	1. श्री देवतोष प्रमाणिक, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता ।	शून्य	शून्य

		2. श्री कृष्ण चंद्र कुंडू, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता।		
3	मिडिलवेयर सर्वर (10 से 11 अगस्त 2023) के अवलोकन के साथ-साथ आईएफएमएस का अवलोकन	1. श्री देवतोष प्रमाणिक, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह), पश्चिम बंगाल, कोलकाता । 2. श्री कृष्ण चंद्र कुंडू, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह), पश्चिम बंगाल, कोलकाता । 3. श्री दिलीप दास, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह), पश्चिम बंगाल, कोलकाता।	शून्य	शून्य
4	सीपीडब्ल्यूडी (16 से 18 अगस्त 2023) की लेखापरीक्षा पर कार्यशाला	1. श्री अरिजीत दत्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता 2. श्री रतन सुतर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता	शून्य	शून्य

(च) सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण

(i) एमएस ऑफिस का अनिवार्य प्रशिक्षण **(01 से 21 अगस्त 2023)**

पत्र संख्या- 2313- Staff (App-1)/15-2015 दिनांक 22.12.2022 के तहत जारी मुख्यालय की परिपत्र संख्या- 42-Staff (App 1)/2022 के संदर्भ में मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर (श्रेणी-ख) को डाटा एंट्री ऑपरेटर (श्रेणी-घ) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र बनने के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। इस पाठ्यक्रम संरचना को मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा किया।

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (क्षेक्षनिज्ञासं), कोलकाता ने सहयोगी कार्यालयों की ओर से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर (श्रेणी-घ) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र डेटा एंट्री ऑपरेटर (श्रेणी-ख) को अगस्त, 2023 में प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विभिन्न अनुप्रयोगों की व्यापक जानकारी प्रदान करना शामिल था। इसमें एक्सेल की भूमिका और इसके मूल कार्य, एक्सेल इंटरफ़ेस और नेविगेशन का अवलोकन, डाटा दर्ज करना और स्वरूपित करना, लाईनो, कॉलम और सेलों का प्रयोग करना, सूत्रों और इसके कार्यों का प्रयोग करके मूल गणितीय गणना तथा योग, औसत, अधिकतम, न्यूनतम, गणना जैसे सामान्य कार्यों का परिचय जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। इसके बाद, प्रशिक्षण में फ़ॉर्मेटिंग और डाटा प्रकलन, सेल, लाईनो और कॉलम के लिए फ़ॉर्मेटिंग विकल्पों को शामिल करना, डाटा को हाइलाइट करने के लिए सशर्त फ़ॉर्मेटिंग का उपयोग करना, डाटा को क्रमबद्ध करना और परिसरण करना तथा तालिकाओं और श्रेणियों के साथ कार्य करना भी शामिल था। पाठ्यक्रम में उन्नत सूत्र और कार्यो को शामिल किया गया जिसमें तार्किक कार्यो (यदी, और, या), लुकअप फ़ंक्शंस (भीलुकअप, एचलुकअप), टेक्स्ट फ़ंक्शंस (श्रेणीबद्ध, बाएँ, दाएँ, मध्य), दिनांक और समय कार्य और त्रुटि पर ध्यान देने के साथ उन्नत सूत्र और कार्य भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में एक्सेल में चार्ट बनाने और फ़ॉर्मेट करने, विभिन्न सारणी प्रकारों की खोज करने और धुरी कोष्ठक तथा शक्ति की जाँच जैसे डाटा विश्लेषण टूल का उपयोग करने के निर्देश शामिल थे। इस कार्यक्रम से प्रतिभागी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से परिचित हूए, जिसमें डॉक्यूमेंट बनाने और उसे सहेजने, टेक्स्ट फ़ॉर्मेटिंग, पैराग्राफ़ फ़ॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट लेआउट जैसी बुनियादी बातें शामिल थीं।

प्रशिक्षण में डॉक्यूमेंट फ़ॉर्मेटिंग और पृष्ठ लेआउट शामिल था जिसके अंतर्गत पैराग्राफ फ़ॉर्मेटिंग, बुलेट का प्रयोग और क्रमांकित सूचियाँ, हेडर और फूटर, पृष्ठ संख्या, मार्जिन और पृष्ठ अभिविन्यास शामिल था।

प्रतिभागियों ने तालिकाओं और ग्राफ़िक्स के साथ काम करना सीखा, इसके अलावा तालिकाएँ बनाना और प्रारूपित करना, चित्र सम्मिलित करना और प्रारूपित करना, कैप्शन जोड़ना तथा आकृतियाँ और नयी कला सम्मिलित करना भी सीखा।

पाठ्यक्रम का समापन उन्नत सुविधाओं और उत्पादक सुझावों के साथ हुआ, जिसमें हेडर और फ़ुटर का प्रयोग करना, हाइपरलिंक करना, टेक्स्ट बॉक्स प्रविष्ट करना, वर्तनी और व्याकरण की जाँच करना, टेम्प्लेट और डॉक्यूमेंट अनुकूलन का प्रयोग करना और दक्षता बढ़ाने वाली युक्तियाँ भी शामिल थीं।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम से प्रतिभागी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से भी परिचित हूए, जिसमें डाटाबेस प्रबंधन प्रणालियों, एक्सेस सुविधाओं और डाटाबेस बनाने का अवलोकन शामिल था। इसमें तालिकाओं, पूछताछ और फ़िल्टर, फ़ॉर्म और रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें फ़ॉर्म को डिज़ाइन करना, जिज्ञासा को जोड़ा गया और तालिकाओं के बीच समानता लाना शामिल है। प्रतिभागियों ने मैक्रो बनाने और उसे संशोधित करने तथा अभिगम्यता में अनुप्रयोगों के लिए मूल दृश्य (भीबीए) के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया।

माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, जिसमें एप्लिकेशन का अवलोकन, स्लाइड के साथ काम करना, प्रस्तुती को बढ़ाना, चित्र, ग्राफिक्स, एनिमेशन और मल्टीमीडिया तत्व सम्मिलित करना शामिल था। अंतत: प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषयों में प्रतिभागियों के ज्ञान और दक्षता का आकलन करने के लिए एक पाठ्यक्रम मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम बाह्य संकाय सदस्यों के साथ ही आंतरिक संकाय सदस्यों की उपस्थिति से समृद्ध हुआ। बाह्य संकाय सदस्यों में श्री मानस बंद्योपाध्याय, आईटी में विशेषज्ञ संकाय, श्री विकास कुमार मोहांती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त) और श्री आनंद रॉय, लेखा परीक्षक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा(कोयला), कोलकाता शामिल थे। उनके व्यापक ज्ञान और अनुभव ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता और व्यापकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इसके अतिरिक्त, श्री सुजय बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुशोभन चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पूनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी सहित इन-हाउस संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता से कार्यक्रम काफी लाभान्वित हुआ।

प्रतिपुष्टि में प्रतिबिंबित प्रतिभागियों का उच्च प्रतिफल स्तर कार्यक्रम की गुणवत्ता तथा बाह्य और आंतरिक संकाय सदस्यों के असाधारण योगदान का प्रमाण है।

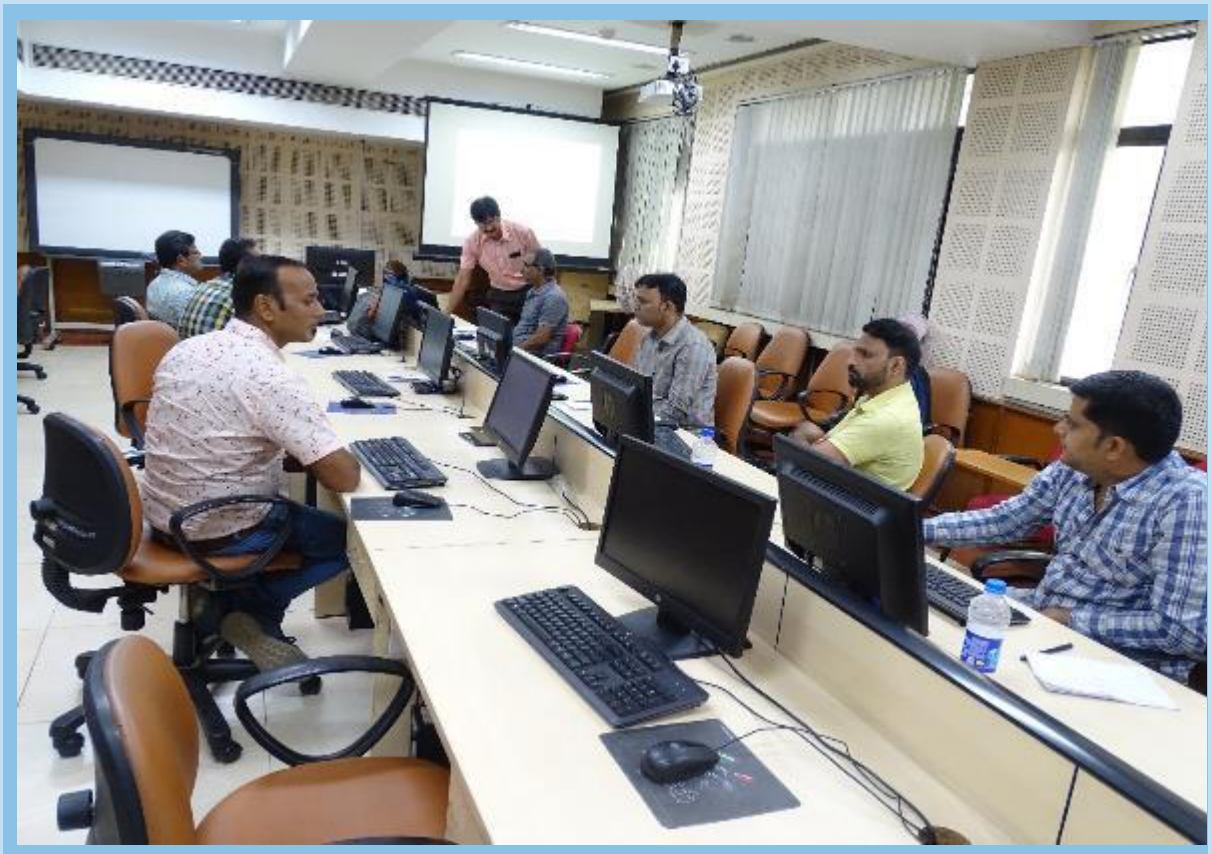

श्री विकास कुमार मोहांती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त) व्यावहारिक सत्र के दौरान प्रतिभागियों के साथ

(ii) *अन्य आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।*

उपरोक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त, जुलाई से सितंबर **2023** की अवधि में क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता के आईएस विंग ने निम्नलिखित आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए ।

क्रम सं.	**प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम**	**प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों के नाम**		
		भा.ले.व.ले.वि. के अंतर्गत	**भा.ले.व.ले.वि. के अतिरिक्त अन्य**	**इन-हाउस संकाय सदस्य**
1	आइडिया चरण-II (10 से 12 जुलाई 2023)	1. श्री समरेश रॉय (राम), वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता	शून्य	1. श्री सुशोभन चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

2	मूल चित्र के साथ एमएस एक्सेस (24 से 28 जुलाई 2023)	शून्य	1. श्री बिकाश कुमार मोहांती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत)	शून्य
3	आर से डाटा एनालिटिक्स (01 से 04 अगस्त 2023)	1. श्री अनिल कुमार गोयल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली 2. श्री चंद्रशील, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
4	एमएस एक्सेल अग्रिम (06 से 13 सितंबर 2023)	शून्य	1. श्री बिकाश कुमार मोहांती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) 2. श्री मानष बंद्योपाध्याय, विशेषज्ञ संकाय, आईटी विशेषज्ञ 3. श्री देवर्षि भुवल्का, चार्टर्ड अकाउंटेंट	1. श्री चन्दन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ओआईओएस) 2. श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ओआईओएस)
5	आइडिया चरण-III (20 से 21 सितंबर 2023)	1. श्री समरेश रॉय (राम), वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - I),	शून्य	शून्य

		पश्चिम बंगाल, कोलकाता 2. श्री फाल्गुनी बंद्योपाध्याय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता।		

छ. उपयोगकर्ता कार्यालयों की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन-हाउस प्रशिक्षण/बैठकों के संचालन के लिए उपयोगकर्ता कार्यालयों को बुनियादी संरचना प्रदान किया गया।

क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता में दो आईटी लैब और एक सम्मलेन कक्ष है। संस्थान उपयोगकर्ता कार्यालयों को बुनियादी संरचना प्रदान करके प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की सुविधा प्रदान करता है। जुलाई से सितंबर 2023 के दौरान, क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए :

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	उपयोगकर्ता कार्यालय का नाम
1	फील्ड पार्टियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं तिमाही बैठक	03/04.07.2023	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल
2	इन-हाउस प्रशिक्षण	14.08.2023	
3	ओआईओएस टूलकिट पर इन-हाउस प्रशिक्षण	30.08.2023 (पूर्वाह्न) और 31.08.2023 (पूर्वाह्न)	
4	इन-हाउस प्रशिक्षण	29.09.2023	

ज. उपयोगकर्ता कार्यालयों तथा भा.ले.व.ले.वि. के बाह्य कार्योलयों को प्रशिक्षण दिया गया।

इस तिमाही में ओआईओएस के सत्रों को छोड़कर, इस संस्थान के संकाय सदस्य प्रशिक्षण सत्रों में पहले से ही व्यस्त थे, इसलिए वे बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाए।

झ. प्रश्नोत्तरी

1. निष्पादन लेखापरीक्षा और कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है**?**

(क) निष्पादन लेखापरीक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन में भी समान दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली अपनाई जाती हैं। लेकिन यह सामान्यत**:** नीतियों की प्रभावशीलता या नीति विकल्पों का आकलन करने तक सीमित होती हैं

(ख**)** लेखापरीक्षक निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि कार्यक्रम के मूल्यांकन का तकनीक मुख्यत: सांख्यिकीय हैं

(ग) निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम मूल्यांकन तकनीकों का नियोजन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए विशेष कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है

(घ) निष्पादन लेखापरीक्षा और कार्यक्रम मूल्यांकन का क्षेत्र एक जैसा है और दोनों समान उपकरण और तकनीकों का प्रयोग करते हैं

2. यदि आपको किसी अस्पताल में कार्यक्षमता के स्वरूपों की जांच करनी हो**,** तो आप किसे निवेदन करेंगे?

(क) संसाधनो को खरीदने की लागत

(ख**)** भर्ती हूए प्रत्येक रोगी पर औसत खर्च
(ग) सर्जरी की संख्या में लक्ष्यों की प्राप्ति।

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. स्टॉक खत्म होते ही आईजीएसटी का बिल पूरा कर दिया जाता है...

(क) संघीय

(ख) अंतर केंद्र शासित प्रदेश

(ग) अंतर्राज्यीय

(घ) उपर्युक्त सभी

4. निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी में शामिल है**?**

(क) केन्द्रीय विक्रय कर

(ख) केंद्रीय उत्पाद शुल्क

(ग) मूल्य वर्धित कर

(घ) उपर्युक्त सभी

5. सुदूर संवेदन सूचना प्रणाली की एक _____ रिकॉर्डिंग है।

(क) संयोजन

(ख) असंयोजन

(ग) क और ख दोनों

(घ) इनमें से कोई नहीं

6. _____ प्रकार के सुदूर संवेदन में, सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है।

(क) सक्रिय

(ख) निष्क्रिय

(ग) क और ख दोनों

(घ) कहा नहीं जा सकता है

7. एमएस वर्ड के स्क्रीन पर आप होरिजेंटल स्प्लिट बार का पता कहाँ लगा सकते हैं?

(क) ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के शीर्ष पर

(ख) ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के निचले भाग पर

(ग) क्षैतिज स्क्रॉल बार के बाईं ओर

(घ) क्षैतिज स्क्रॉल बार के दाहिने ओर

8. जहां टैब रुक जाता हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा संरेखण नहीं रखा जा सकता?

(क) दशमलव संरेखण

(ख) केंद्र संरेखण

(ग) बार संरेखण

(घ) संरेखण का समायोजन करना

9. बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं?

(क) दस्तावेज़ को विशिष्ट स्थान पर सहेजना

(ख) आगामी समय के लिए वेबसाइट के यूआरएल को सहेजना

(ग) सर्च करने के लिए दस्तावेज़ों का प्रयोग करना

(घ) संरेखण को उसी रूप में सहेजना।

10. कौन सा प्रकार्य आपको स्पष्ट उद्धरण के स्थान पर सीधे उद्धरण टाइप करने की अनुमति देता है?

(क) टाइप करने के साथ स्वतः ही सुधार हो जाता है

(ख) टाइप करने के साथ स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है

(ग) टाइप करने के साथ स्वतः ही हट जाता है

(घ) टाइप करने के साथ स्वतः ही प्रारूपित जाता है

अ. प्रश्नोत्तरी के उत्तर

1. **(क)**
2. **(ख)**
3. **(क)**
4. **(घ)**
5. **(ख)**
6. **(ख)**
7. **(क)**
8. **(घ)**
9. **(ख)**
10. **(घ)**

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

तीसरा एमएसओ बिल्डिंग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 5वीं मंजिल (ए विंग), डीएफ ब्लॉक, साल्ट लेक, सेक्टर - I, कोलकाता - 700064

दूरभाष नंबर: (033) 23213907/6708

ईमेल: rtikolkata@cag.gov.in

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest